रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 241] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 1971/पौष 2, 1893

No. 241] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 1971/PAUSA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 23rd December 1971

G.S.R. 1958-A.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 49 and rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 266/67-Central Excises, dated the 28th November, 1967, namely:—

In clause (i) of paragraph 2 of the said notification, after item (z) the following items shall be inserted, namely:—

"(za) Ambala
(zb) Hissar
(zc) Pathankot
(zd) Jullundur
(ze) Patiala
(zf) Kotkapura

(zg) Jaipur
(zh) Agra
(zi) Secunderabad
(zj) Bangalore
(zk) Poona
(zl) Dharamnagar (Tripura)
(zm) Silchar
(zn) Misamari
(zo) Rajkot
(zp) Jamnagar
(zq) Kanpur
(zr) Allahabad.

[No. 211/71.]

K. L. MUKHERJI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 1958A.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 49 के उपनियम (2) और नियम 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 28 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना सं० 266/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के खंड (1) में, मद (य) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(य क) अम्बाला
(य ख) हिसार
(य ग) पठानकोट
(य घ) जलन्धर
(य ङ) पटियाला
(य च) कोटकपुरा
(य छ) जयपुर
(य ज) आगरा
(य झ) सिकन्दराबाद
(य ञ) बंगलौर

(य ट) पूना

(य ठ) धरमनगर (त्रिपुरा)

(य ड) सिल्चर

(य ढ) मीसामारी

(य ण) राजकोट

(य त) जामनगर

(य थ) कानपुर

(य द) इलाहाबाद

[सं० 211/71]

के० एल० मुखर्जी,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971